राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 954वी बैठक दिनांक 30.06.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 954वी बैठक दिनांक 30.06.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2388/2026	1(a)	मुरैना	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/2397/2026	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/2400/2026	1(a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/2402/2026	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1972/2025	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	9392/2022	1(a)	अनूपपुर	लेटेराईट, ऑकर एवं व्हाईटक्ले खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
7.	P2/1765/2025	1(a)	मुरैना	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
8.	P2/1597/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/1797/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1766/2025	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2441/2026	1(a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

30/6/26 30/6/26 30.06.26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/1438/2025	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/834/2024	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/2430/2026	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/2434/2026	1(a)	सीहोर	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/2436/2026	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	P2/1440/2025	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1871/2025	1(a)	सीधी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनन्दा सिंह रघुवंशी)
सदस्य
30/6/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष
30.06.26

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 954वी बैठक दिनांक 30.06.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/530282/2026, Case No. P2/2388/2026Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha., for production capacity of 6,000 Cubic meters/year, at khasra no. 112 /1, 332, 333, Village Parauli, Tehsil– Banmore, District- Morena (M.P.) by Shri Jitendra Singh, S/O Shri Puran Singh, 139, Paroli Gaon, Paroli, Morena Distt. - Morena (M.P.) – 476444**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **884वी बैठक दिनांक 15.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 884वी बैठक दिनांक 15.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना द्वारा पत्र क्र. 1078 दिनांक 01.08. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वाटर बॉडी से न्यूनतम 100 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/568392/2026, Case No. P2/2397/2026Prior Environment Clearance forStone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.878 hectares (As per SEAC recommendation mineable area is 1.70 ha.), for production capacity of 50,000 cubic meter per year, at khasra No. 54, 55, 61 & 62, Village Mehtoli, Tehsil Banmore District Morena (M.P.) by Shri Manoj Singh Kushwah, R/o- 27 B, Hariom Colony, Murar, Gwalior, DistrictGwalior, (M.P.)- 474006

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 886वी बैठक दिनांक 22.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 4343-47 दिनांक 22.03. 2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क, मानब बसाहट एवं नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	30/6/26 (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

3. **Proposal No. SIA/MP/MIN/565346/2026Case No. P2/2400/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.300 Ha., for production capacity of 62270 M3/Year, at Khasra - 102, Village - Kerpani, Tehsil – Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.) by Shri Vijay Chouksey, Owner, A-1/1600, Bushwara Market Area, Tehsil -Nepanagar, District-Burhanpur (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 886वी बैठक दिनांक 22.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 16.08.2018 के अनुसार दिनांक 23.07.2018 से 10 वर्ष की लीज स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.07.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/571927/2026, Case No. P2/2402/2026Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for production capacity of 30,000 cubic meters, at Khasra no. 07, in Village - Mahodiya, Tehsil - Sehore, District-Sehore (M.P) by Smt. Namarata Sisodia, Partner M/s Kuber Stone Crushing Industries, Mahodiya House, Sai Baba Mandir Road, Chanakyapuri, Sehore (M.P.)- 466001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **886वी बैठक दिनांक 22.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 886वी बैठक दिनांक 22.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. I/425584/2025 दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं स्ट्रक्चर से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

5. Proposal No.SIA/MP/MIN/551522/2025, Case No. P2/1972/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.30 ha., for production capacity of 30,000 Cub Meter/year, at Khasra no. 2034, Village - Bilheti, Tehsil – Gwalior, District - Gwalior (M.P.) by M/s Shri Banke Bihari Sarkar Stone Crusher, Partner Shri Deepak Goyal S/O Rajendra Prasad Goyal, 154, Defense Estate Fashe-1, Bundu katra Gwaliore Road, Agra, (U.P.) – 282001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 7202 दिनांक 25.02.2020 के माध्यम से दिनांक 01.07.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.07.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यमं से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. Proposal No.SIA/MP/MIN/532019/2025, Case No. 9392/2022Prior Environment Clearance for White Clay/Ochre & Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 7.768 hectare, for prodcution capacity of Laterite 10,080 Ton/Annum, Ochre: 50,200 Ton/Annum and White Clay: 5,580 Ton/Annum production annually, at khasra no. 50,51/1,51/2,51/3, 279/1,279/2, 279/3,280,282, Village Majhauli - Tikradudhi, Tehsil - Pusprajgarh, District- Anuppur (Madhya Pradesh) by M/s Raj Minerals, Prop. Smt. Ranju Goyal W/o Shri Pradeep Kumar Goyal, Ward No. 9, Dist. Shahdol, MP

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 845वी बैठक दिनांक 17.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर जो माईनिंग प्लान अपलोड किया गया है वह सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं है। परिवेश पोर्टल पर अपलोड माईनिंग प्लान के संबंध में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल से भी जॉच करवाई जावे कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई खनन योजना क्या संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल से अनुमोदित है अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण में संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/06/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Proposal No.SIA/MP/MIN/522819/2025, Case no. P2/1765/2025Prior Environment Clearance for Flag Stone Mine, in an area of 1.460 Ha., for production Capacity of 5,000 Cubic Meter/year, at khasra no. 77, Village - Rancholi, Tehsil - Morena (Current - Banmore), District - Morena (M.P.) by Smt. Sonali Singh, W/o Shri Manoj Gurjar, Partner of M/S Shri Banke Bihari Stone, R/o 11, C. P. Colony Murar, Gwalior, (M.P.) – 474006**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :–

" ...... The case was scheduled for the presentation wherein it was observed by committee that PP vide letter dated 31.03.2026 has submitted a request for withdrawal of their application. Committee decided that on the request of PP, case may be considered for withdrawl and not recommended for grant of EC ."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/MIN/467658/2025, Case no. P2/1597/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for prodcution capacity of Gitti – 6,000 and M-Sand – 10,000 cum per year, at Khasra No. 2644, Village-Medawada, Tehsil Khachrod, District-Ujjain (MP) by Shri Subhash Patidar, Lessee, Bhesasuri Mohalla, Madawda, Khacharod, Ujjain (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 868वी बैठक दिनांक 16.02.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा 02 KML file अपलोड की गई है जो कि दोनो ही अलग–अलग खदानों की हैं, जबकि प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर अपलोड कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एकल प्रमाण पत्र में लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है। परंतु गूगल ईमेज अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान भी परिलक्षित है जिसका उल्लेख SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में नहीं किया गया है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी पत्र भेजकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे कि क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक आवेदन में एक से अधिक KML File अपलोड की जा सकती हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमाक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये एवं बिन्दु कमांक 2 के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

30/6/26

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/509385/2025, Case no. P2/1797/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for production Capacity of Gitti – 20,000 Cum per year and M Sand – 15,000 Cum per year, at Khasra No. 34/3, Village- Dhondi, Tehsil Bhainsdehi, District Betul (M.P.) By Shri Krishna Lokhande, Leessee, Ghogama, Tehsil Bhainsdehi, District Betul (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 06.11.2020 के अनुसार दिनांक 05.11.2030 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.11.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय / शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/523985/2025, Case no. P2/1766/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 Ha., for production Capacity of 20,001 m³/year, at khasra no. 335/3/1, Village: Bhaukhedi, Tehsil: Ichhawar, District: Sehore (M.P.) by Shri Pranat Chauhan, Ward no.- 5, Khupripar, Tehlcchawar, Distt. - Sehore (M.P.) – 466115

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 एवं 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 8382-83 दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा पंचशाला अनुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खसरा नम्बर 335/3/1 के अंश भाग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवंटित भूमि में किसी भी प्रकार की खनन, डम्प इत्यादि संबंधित कोई गतिविधि नहीं की जावेगी।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

30/6/26

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/571158/2026, Case No. –P2/2441/2026. Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.600 Ha., For Production Capacity of 76,775 Cubic Meter/Year at Khasra No.-103, Village – Shivri, Tehsil – Bajag, District- Dindori (M.P.) by M/S Gaur Road Tarcoat Pvt Ltd, Partner, Plot No. 2283 Sharda Chowk Nagpur Road, Jabalpur (M.P.)- 482001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी द्वारा आदेश क्र. 935 दिनांक 16.12.2025 एवं अनुमोदित खनन योजना दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (02 वर्ष) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तकनो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(सुधीर कुमार कोचर) — सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) — सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान) — अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/569248/2026Case No. P2/1438/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.85 hectares, for production capacity of stone - 40,128 m³/year, at Khasra No.-1331 part, Village - Katheri, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.) By Shri Sadan Jayswal, R/o-Village- Sarai, Post- Sarai, Tehsil- Sarai, District- Singrauli, (M.P.) – 486881

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03.05.2018 के अनुसार दिनांक 02.05.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **स्टॉप डेम के HFL से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **जिला कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सतत् मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा उठाई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई में की गई प्रतिबद्धता अनुसार कार्य किया जाये एवं इसका पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

30/6/26   30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(ix) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(xiv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(xv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xvii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xviii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/569307/2026Case No. P2/834/2024 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 hectares, for production capacity of 22,140 m³/year, at Khasra No.- 1328, Village - Katheri, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.) By Shri Seema Jaiswal, R/o-Village- Sarai Post- Sarai, DistrictSingrauli, (M.P.) – 486881

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 14.06.2017 के अनुसार दिनांक 13.06.2027 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.06.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिला कलेक्टर सिंगरौली द्वारा सतत् मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा उठाई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई में की गई प्रतिबद्धता अनुसार कार्य किया जाये एवं इसका पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(xii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(xiii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xvii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/562671/2026Case No. P2/2430/2026 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 Ha., for production capacity of Stone (Gitti) 4,000 m3/ Year & M-Sand 22,000 m3/Year, at Khasra No. 1318, Village: - Khajurigond, Tehsil- Sitamau District: - Mandsaur (M.P) by Shri Anirudh Patidar, Lessee, R/o-Village- Elchi, Tehsil- Daloda, District- Mandsaur, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. I/431818/2025 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20/6/26

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/572574/2026Case No. – P2/2434/2026 Prior Environmental Clearance for Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 Ha., for production capacity of 20,000 Cubic meter/year at Khasra No. - 346/1/2, 347/1/2 & 346/6/2, Village: Hakeempur, Tehsil: Jawar, District: Sehore (M.P.) By Shri Usaman Khan, Village - Hakimpur, Tehsil - Jawar, District - Sehore (M.P.)- 466001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEACकी 888वी बैठक दिनांक 28.04.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 6932-34 दिनांक 10.07. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(viii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

30/6/26

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/565479/2026, Case No. P2/2436/2026 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.790 Ha., for production capacity of 14,820 Cum/Year, at Khasra No.- 522, Village - Gadwadi, TehsilJhabua, District- Jhabua (M.P) By Shri Hemendra Patel, Partner, Krishna Stone Crusher R/o-23, Radha krishna marg, Jhabua, District- Jhabua (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **888वी बैठक दिनांक 28.04.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में ई–मेल दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से श्री विजय चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता जिला झाबुआ से शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी का है जिसके 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर रकबा 0.90 हे. एवं श्री हेमेन्द्र पटेल रकबा 2.80 हे. की स्वीकृत / संचालित है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.49 हेक्टेयर होता है। प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर रकबा 0.90 हे. एवं श्री हेमेन्द्र पटेल रकबा 2.80 हे. स्वीकृत / संचालित होना परिलक्षित है। जिसके अनुसार प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में स्वयं की 01 खदान रकबा 2.80 हेक्टेयर की स्वीकृत / संचालित होना बताई गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर झाबुआ द्वारा 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों की वास्तविक वस्तुस्थिति प्राप्त करने के उपरांत SEAC द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/559771/2025, Case no. P2/1440/2025Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.580 Ha., for production capacity of 55,000 Metric Ton Per Year, at Khasra No. 574, 596, 597, 598, 599, 602, 603, 604, 605, 606 & 731, Village Katamal, Tehsil Bichhiya& District- Mandla (MP) by Smt. Sheela Patle, Proponent, Harkaniwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangantiraha, Maharajpur, Mandla (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **874वी बैठक दिनांक 10.03.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 947वी बैठक दिनांक 30.04.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रश्नाधीन प्रकरण की गूगल ईमेज के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार पाया गया कि खदान क्षेत्र से 106 मीटर की दूरी पर एक साईट ऑफिस परिलक्षित है। चूँकि साईट ऑफिस में लोगो का आना जाना व रूकना भी होता है एवं प्रश्नाधीन प्रकरण में ब्लास्टिंग भी प्रस्तावित है जिसका इम्पेक्ट काफी दूर तक होता है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत उक्त साईट ऑफिस में कितने लोग रहते है तथा उसका ब्लास्टिंग के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा के संबंध में जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक **07.05.2026** के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **ADS Reply**को स्वीकार करते हुए, **SEAC** की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 16180-81 दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.12.2053 तक वैध मान्य रहेगी।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

30/6/26

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(vii) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMPकोEIAके निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMPके प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर ClusterEMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।**

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
30/6/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMSकी अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।

30/6/26 30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No.SIA/MP/MIN/543423/2025, Case No. P2/1871/2025Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 1.5 ha., for production capacity of 33866 cum per annum, at Khasra No. 116/2/2, Village- Amhawa Tehsil- Gopadbanas District Sidhi (M.P.) by Shri Anil Singh Chauhan, Project Proponent, H.NO. 2/98, Dadari Khurd, Tehsil - Sihawal, District - Sidhi (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 एवं 829वी बैठक दिनांक 19.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 946वी बैठक दिनांक 17.04.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. *प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन, लीज स्वीकृति आदेश, अनुमोदित खनन योजना, एकल प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रस्तावित लीज का क्षेत्र 1.50 हेक्टेयर दर्शाया गया है जबकि ग्राम पंचायत की अनापत्ति में लीज क्षेत्र 1.15 हेक्टेयर दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त लीज क्षेत्र को किस कारण कम किया गया है का उल्लेख भी ठहराव प्रस्ताव में नहीं किया गया है।*
2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित वृक्षों के संबंध में SEAC के समक्ष दिये गये ADS reply के साथ संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ के आधार पर वृक्षों की संख्या 1 बताई गई है जबकि संलग्न फोटोग्राफ में दिये गये अक्षांश देशांश लीज क्षेत्र के बाहर परिलक्षित हो रहे है जहां पर कोई भी वृक्ष नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के संबंध में जिला कलेक्टर सीधी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि ग्राम पंचायत जमुनिहां कला द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र को किस आधार पर कम किया गया एवं प्रस्तावित लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष है का पुनः स्थल निरीक्षण करवाकर प्रतिवेदन 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।'

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.05.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Replyको स्वीकार करते हुए, SEAC की 872वी बैठक दिनांक 27.02.2026 एवं 829वी बैठक दिनांक 19. 09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

30/6/26

(सुधीर कुमार कोचर)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 954वी बैठक दिनांक 30.06.2026 का कार्यवाही विवरण

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी आदेश क्र. 259 दिनांक 10.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपना कर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्थित जलीय निकाय (नदी, तालाब, नहर आदि) के पानी की गुणवत्ता की Physical, Chemical and Biological पैरामीटर्स का अध्ययन करवाकर अध्ययन रिपोर्ट छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी रेस्क्यू प्लान में मेडिकल ट्राएज फैसिलिटी एवं मेडिकल इन्टरवेंशन फैसिलिटी का प्रावधान किया जायेगा एवं आपातकाल की स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू रूम का भी अनिवार्यत प्रावधान किया जायेगा। उक्त शर्त का परिपालन कर छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ मय दस्तावेजों के अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग को हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए किपूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(सुधीर कुमार कोचर) सदस्य सचिव 30/6/26	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य 30/6/26	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष 30.06.26

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEACकी अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय स्कूल में जिला कलेक्टर्स से परामर्श कर आवश्यकतानुसार सामग्री अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

30/6/26	30/6/26	30.06.26
(सुधीर कुमार कोचर) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**